International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-9, Issue-3 May-June- 2022
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

भारतीय शिक्षा में मुक्त विश्वविद्यालय के योगदान का अध्ययन

डॉ० शरद कुमार अग्रवाल
प्राचार्य
गाँधी इन्स्टीट्यूशन ऑफ परफैक्ट टीचिंग स्टडीज, मेरठ

शोध–सार
प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय शिक्षा में मुक्त विश्वविद्यालय के योगदान का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर समस्या के शैक्षिक महत्व के विषय के विचार न केवल आवश्यक है वरन स्वभाविक भी हैं। निष्कर्षत: यह पाया गया है कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त विश्वविद्यालय का योगदान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विज्ञान तकनीकी एवं संचार के बढ़ते हुए उपक्रम तथा मानव मस्तिष्क की नई आजादी ने सम्पूर्ण समाज को चकाचौंध कर दिया है। परंपरागत शिक्षा प्रणाली के संकुचित परिणाम के फल स्वरुप आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तकनीकी ने हमारी नई पीढ़ी के अन्दर एक क्रान्ति पैदा की है। वर्तमान में केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय सभी मुक्त विश्वविद्यालय कुशल प्रबन्धन एवं दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर हैं।

कुंजीशब्द– मुक्त विश्वविद्यालय

प्रस्तावना–
भारत की बढ़ती जनसंख्या से खाद्य समस्या बेरोजगारी शिक्षण संस्थाओं की कमी तथा प्रवेश लेने वालों की बढ़ती भीड़ आदि अनेक समस्याएं खड़ी हो गई हैं। माध्यमिक अथवा विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लाखों विद्यार्थी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश न मिलने के कारण परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। आधुनिक और विकास की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में जहां समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया जाता है। वहाँ शिक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भारत में एक लम्बे समय से शिक्षा करोड़ों लोगों की पहुँच से बाहर थी भारत में पिछले 4 दशकों से शिक्षा के विस्तार की गति काफी तेज हो रही है। फिर भी समाज में अभी भी बहुत से लोग शिक्षा से वंचित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। जिससे समाज के सभी वर्गों के लोग शिक्षा के समान अवसर पा सकें इन प्रयोग में से एक है मुक्त विश्वविद्यालय। प्रस्तुत शोध अध्ययन में इसी पर प्रकाश डाला गया है। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय भारत, यूनाइटेड किंगडम तथा अन्य देशों में कार्य कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश की नीति खुली होती है, अर्थात् विद्यार्थियों को अधिकांश स्नातक स्तर के प्रोग्रामों में प्रवेश देने के लिए उनके पूर्व शैक्षिक योग्यताओं की जरूरत का बंधन नहीं लगाया जाता। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुक्त विश्वविद्यालय एक ऐसा प्रयास है जो अनौपचारिक विधियों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों को शिक्षित करता है जो औपचारिक शिक्षा किसी कारणवश ग्रहण नहीं कर सके। इनमें किसी आयु या शैक्षिक योग्यता से निम्नतम स्तर का बंधन नहीं रहता उपस्थिति की अनिवार्यता, विश्वविद्यालय परिसर में आकर बैठने और पढ़ने का बंधन भी नहीं होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि ''मुक्त विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए तथा शिक्षा में लोकतंत्र के एक साधन के रूप में प्रारंभ की गई है।'' सन 1969 में इंग्लैंड के लार्ड काउथर ने मुक्त विश्वविद्यालय के लिए निम्नलिखित विचार बिन्दु रखे। प्रत्येक छात्र के लिए मुक्त विश्वविद्यालय के द्वार खुले होते हैं। इनमें निम्नलिखित प्रकार के छात्र प्रवेश ले सकते हैं–

- एक वे जो अपनी युवावस्था में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

- वह कार्यरत व्यक्ति जो अपने क्षेत्रों में नवीनतम विचारों से अवगत रहने के लिए बोधात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं।
- वे व्यक्ति जो पहले किन्हीं कारणों से कॉलिज छोड़ चुके हैं और अब उन्नति प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

वे महिलाएँ जो विवाह से पूर्व उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी और अब उन्नति करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक हैं—

1- प्रौढ़ तथा बदली हुई आर्थिक स्थिति के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक हैं।
2- क्योंकि मुक्त विश्वविद्यालय में परिसर में ही पढ़ने का प्रतिबन्ध नहीं होता इसीलिए यह स्थान की दृष्टि से भी खुले हैं।
3- मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षण के तरीकों में भी काफी विविधता एवं खुलापन होता हैं। खुले मुक्त विश्वविद्यालयों का मूल सिद्धांत उन्मुक्त विचार या नवाचार के लिए तत्पर तथा निरन्तर प्रयोग से पूर्ण रहना।

मुक्त विश्वविद्यालय प्रारम्भ करने के उद्देश्य

- अधिकांश लोगों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा समाज को शिक्षित करना।
- विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को व्यक्तियों तथा संस्थाओं के द्वारा देश के विकास से जोड़ना।
- उच्च शिक्षा से वंचित व्यक्तियों और समूहों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना और ज्ञान तथा कौशल का स्तर उन्नत करने के लिए अवसर प्रदान करना।
- उन व्यक्तियों की सहायता करना जो नये विषयों को पढ़ना चाहते हैं।
- जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी करते हुए अध्ययन के अवसर प्रदान करना।
- प्रौढ़ शिक्षा के विकास को जारी रखना।
- विद्यालय स्तर पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना और मानवीय व्यक्तित्व का समन्वित विकास करना।
- संचार प्रौद्योगिकी सहित विविध साधनों द्वारा ज्ञान का प्रसार करना।
- रेडियो दूरदर्शन तथा कैसेटों पर रिकॉर्ड की गई सामग्री द्वारा मानव के भावात्मक पक्ष को प्रभावित करने में सहयोग देना।
- शिक्षा के द्वारा रोजगार की आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिए छात्रों को प्रोत्साहित कर लोगों के ज्ञान एवं दक्षता में वृद्धि करना।
- चारदीवारी में दी जाने वाली शिक्षा की जगह विद्यालय से बाहर शिक्षा देना।
- छात्र व शिक्षक के सम्बन्ध प्राय: आमने—सामने के बजाय अनौपचारिक बनाना।
- विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करना।

मुक्त विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रणाली एवं शिक्षा पद्धति

मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति परम्परागत विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति से भिन्न है। इसमें अधिकांश शिक्षा कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से न देकर दूर से दी जाती है। इसलिए दूर शिक्षा के जांचे—परखे और वैज्ञानिक ढंग से तैयार किए गए शिक्षा सिद्धान्त अपनाए जाते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा मुख्यत: संचार माध्यमों से दी जाती है। इस विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पत्राचार द्वारा पाठ्यक्रम भेजने की व्यवस्था होती है। पाठ रेडियो एवं टी.वी. द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। यह पाठ विभिन्न विषयों के विद्वानों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं।

इस सम्बन्ध में **एस. परमजीत का कहना है कि,** 'जो लोग रेडियो एवं टी.वी. के इस्तेमाल की स्थिति में नहीं है, उनकी सहायता के लिए दृश्य–श्रव्य सामग्री उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं तथा पाठ्य–सामग्री के रूप में उन्हें छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है। आमने सामने व्यक्तिगत सम्पर्क जैसा कि औपचारिक शिक्षा पद्धति में होता है। इसी की कमी को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अध्ययन केन्द्रों में सम्पर्क कार्यक्रम कार्यशाला संगोष्ठिओं का आयोजन किया जाता है। इन केन्द्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की पढ़ाई के अलावा अन्य विषयों के छात्रों की उपस्थिति के बारे में विकल्प की सुविधा दी जाती है।

मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रम

विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न शिक्षण विषयों को रखा जाता हैं। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में निम्नांकित विषयों को विभिन्न स्कूलों के माध्यम से पढ़ाया जाता है–

- **स्कूल ऑफ लैग्वेज**–इस स्कूल के अन्तर्गत विभिन्न भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है।
- **स्कूल ऑफ सोशल साइंस**–इस स्कूल में इतिहास, राजनीति शास्त्र, जन–प्रशासन, समाजशास्त्र लाइब्रेरी तथा इन्फॉर्मेशन आदि विषयों का शिक्षण किया जाता है।
- **स्कूल ऑफ साइंस**–इस स्कूल के अन्तर्गत गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान आदि विषयों के शिक्षण की व्यवस्था है।
- **स्कूल ऑफ इवनिंग एजुकेशन**–इस स्कूल में ग्रामोत्थान, स्त्री शिक्षा के कोर्स तथा अन्य विषय रहते हैं।
- **स्कूल ऑफ कम्प्यूटर एंड इनफॉरमेशन साइंस**–इस स्कूल में डाटा प्रोडक्टिविटी तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन आदि से सम्बन्धित विषयों के शिक्षण का प्रबन्ध है।
- **स्कूल ऑफ एजुकेशन**–इस स्कूल में डिग्री स्तर पर बी.एड. डिप्लोमा स्तर पर दूरवर्ती शिक्षा तथा उच्च शिक्षा आदि से सम्बन्धित कोर्स संचालित किए जाते हैं।
- **स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज**–इस स्कूल के अन्तर्गत कॉमर्स और मैनेजमेण्ट के विभिन्न विषयों में डिग्री व डिप्लोमा आदि प्रदान किए जाते हैं।

मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली निर्देशन की विधियाँ

खुले या मुक्त विश्वविद्यालय में निम्नांकित निर्देशन विधियों का प्रयोग किया जाता है–

- मुद्रित
- ऑडियो वीडियो कैसेट
- टेली कॉन्फ्रेंसिंग
- प्रयोगात्मक सामग्री
- रेडियो
- दूरदर्शन

- अन्य श्रव्य—दृश्य साधन
- स्वत: अनुदेशन सामग्री आदि

मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा अपनायी जाने वाली परीक्षा पद्धति

प्राचीन औपचारिक शिक्षा की परीक्षा पद्धति दोषपूर्ण किन्तु अर्वाचीन नवीन परिवर्तन करके औपचारिक शिक्षा पद्धति में सुधार किया जा रहा है परन्तु सुधार आशा के अनुकूल नहीं हो रहा है। आज देश को व्यवहारिक शिक्षा की जरूरत है। जो व्यक्ति को एक परिपक्व नागरिक बना सके। व्यवहार मूलक शिक्षा पद्धति की व्यवस्था की जाए प्रयोगात्मक परीक्षा नाम मात्र की न ही वरन् उन पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। शिक्षा सत्र के अन्त में ही परीक्षा ली जाती है। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में परीक्षा पद्धति भिन्न है। भारत में खुले विश्वविद्यालय की परीक्षा पद्धति भिन्न है। इन्दिरा गाँधी खुला विश्वविद्यालय जुलाई 1985 में प्रारम्भ हुआ। आंध्र प्रदेश में पहले मुक्त विश्वविद्यालय में 1982 में अनपाई गयी परीक्षा पद्धति इस प्रकार थी— जैसे शिक्षा सत्र के अन्त में विद्यार्थी की एक लिखित परीक्षा होती थी जिनमें पांच प्रश्न प्रत्येक 3 घंटे की अवधि के अनुसार देनी होते थे इसी प्रकार 1984 से 85 में परीक्षा पद्धति समान थी। प्रथम वर्ष के अंत में 4 प्रश्न पत्र लेने होते हैं— जिनमें एक प्रश्न पत्र प्रत्येक चार फाउण्डेशन कोर्स से होता है। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अन्त में ऐच्छिक विषय में परीक्षा होती है। प्रत्येक विषय में दो प्रश्न पत्र होते हैं। वित्तीय वर्ष के अन्त में तृतीय वर्ष के अन्त में होते हैं। यदि कोई बी.एससी. का छात्र है। तो एक प्रयोगात्मक परीक्षा में भी द्वितीय व तृतीय वर्ष के अन्त में प्रत्येक विज्ञान विषय में सम्मिलित होना होता है। लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का नमूना पत्र दिया जाता है। इस प्रश्न पत्र में सामान्य तथा सरल लघु उत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। कोई भी परिवर्तन होता है। तो उसे योजना के पहले सूचित किया जाता है। छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम 36 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होता है।

प्रत्येक कार्यक्रम में शिक्षार्थी को निम्न तालिका के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाती है—

श्रेणी	प्रतिशत
प्रथम श्रेणी	60 प्रतिशत अथवा अधिक
द्वितीय श्रेणी	48 प्रतिशत अथवा उससे अधिक
तृतीय श्रेणी	36 प्रतिशत अथवा उससे अधिक या 40 प्रतिशत से कम

मुक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन

भारत में औपचारिक शिक्षा में प्रशासन की समस्या अत्यंत गंभीर समस्या है। कुछ लोग विश्वविद्यालय व्यवस्था में पूर्ण स्वायत्त शासन व्यवस्था की मांग करते हैं। उनके अनुसार विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति प्रदेश के राज्यपालों द्वारा की जानी उपयुक्त नहीं कुछ लोग आलोचना करते हैं कि 3 वर्षीय

पाठ्यक्रम होना चाहिए विश्वविद्यालय में स्वतन्त्र चिंतन, स्वतन्त्र कार्यप्रणाली, अनुशासन के लिए स्वतन्त्र वातावरण, स्वतन्त्र अध्ययन एवं अध्यापन स्वतन्त्र शोध कार्य आदि की व्यवस्था होनी चाहिए तभी निर्भीक स्पष्ट विचार मन एवं मेधावी नेता मिल सकेंगे यहाँ विश्वविद्यालयों का विधान राज्यों की विधानसभाओं के हाथ में होता है, वही इसका निर्माण करती हैं। विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपालों के हाथ में होती है। सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति पर विद्यालय को आर्थिक अनुदान देती है। इस प्रकार राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों पर पूर्ण नियन्त्रण रखती हैं।

शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। कुछ विश्वविद्यालय जैसे दिल्ली, बनारस, अलीगढ़ एवं विश्व भारती जवाहर लाल नेहरू इत्यादि केन्द्रीय सरकार के अधीन है। प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रति दिन के प्रशासन की देखरेख के लिए एक वेतन प्राप्त करने वाला उपकुलपति होता है। जिसकी नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है। उप कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक हो सकता है। कुछ विश्वविद्यालय में सहायक उप कुलपति की नियुक्ति की जाती है। जो उपकुलपति को उसके कार्य में सहायता पहुंचाते हैं। सामान्य रूप से विश्वविद्यालय के प्रशासन को चलाने के लिए 4 संस्थाएं हैं—

1- सीनेट या कोर्ट

2- सिंडिकेट या कार्यकारिणी परिषद

3- आ विधिक परिषद (Academic Council)

4- संकाय (Faculty)

सीनेट विश्वविद्यालय नीति का निर्माण करती है तथा उनसे सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों को हल करना सीनेट की विधि सम्बन्धी शक्तियों के अन्तर्गत आता है। विधिक परिषद सब प्रकार की शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए सर्वोच्च संस्था है। संकाय समिति बोर्ड ऑफ स्टडीज से मिलकर बनती हैं एवं संकाय के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली आदि पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय सेवा विभाग

विद्यार्थी सहायता सेवाएं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण घटक है। यह कार्य देशभर में फैले 118 अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। अध्ययन केन्द्र विद्यार्थियों के निरन्तर सूचना प्रदान करने और अध्ययन में सहायता प्रदान करने वाले वास्तविक केन्द्र हैं। प्रत्येक अध्ययन केन्द्र में विद्यार्थियों को पुस्तकालय टेलीविजन ऑडियो वीडियो सुविधाएं उपलब्ध हैं। अध्ययन प्रक्रिया में व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जाती हैं। इसके लिए वरिष्ठ और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था है। सामान्य अध्ययन केन्द्र मौजूदा शैक्षिक संस्थाओं में स्थित है। और सभी छुट्टियों तथा रविवार के दिनों में तथा कार्य दिवसों को शाम के समय मुक्त रहते हैं। प्रत्येक अध्ययन केन्द्र की देखरेख के लिए संचालक हैं। अध्ययन केन्द्रों के कार्यों को संयोजित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 12 क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए गए हैं। संयोजन कार्य के अलावा क्षेत्रीय केन्द्रों को अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं। जैसे प्रचार कार्य, सूचना

प्रदान करना, संचालकों तथा काउंसलरों को ओरियन्टेशन तथा प्रशिक्षण देना शैक्षिक कार्यों को मॉनिटर करना आदि। इन सबके ऊपर क्षेत्रीय सेवा प्रभाग है। जो मुख्यालय में स्थित है और विद्यार्थी की सहायता तन्त्र का पर्यवेक्षण करता है। इस प्रभाव का कार्य नीति निर्धारण करना क्षेत्रीय केन्द्रों तथा अध्ययन केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी निर्णय लेना क्षेत्रीय केन्द्रों में आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति विशेष सहायता प्रदान करना कर्मचारियों के प्रशिक्षण विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करना आदि।

मुक्त विश्वविद्यालय की कोड सूची

Code for programmes being offered-

1. Code for States @UTS
2. Code for study centres/entrance exam centres with exam centres programme being offer there
3. Codes for regional centre codes
4. Code for general professional qualification
5. Code for nature of organisation in which applicant is working
6. Codes for educational qualifications equivalent to 10+ 2 exam board/University
7. Codes for special category

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय शिक्षा में मुक्त विश्वविद्यालय के योगदान का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर समस्या के शैक्षिक महत्व के विषय के विचार न केवल आवश्यक है वरन स्वभाविक भी हैं। निष्कर्षत: यह पाया गया है कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त विश्वविद्यालय का योगदान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विज्ञान तकनीकी एवं संचार के बढ़ते हुए उपक्रम तथा मानव मस्तिष्क की नई आजादी ने समपूर्ण समाज को चकाचौंध कर दिया है। परमम्परागत शिक्षा प्रणाली के संकुचित परिणाम के फलस्वरुप आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं

तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तकनीकी ने हमारी नई पीढ़ी के अन्दर एक क्रान्ति पैदा की है। वर्तमान में केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय सभी मुक्त विश्वविद्यालय कुशल प्रबन्धन एवं दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर हैं।

सन्दर्भित पुस्तकें–

1- शर्मा, आर. के. एवं दूबे, श्रीकृष्ण (2004) 'दूरस्थ या दूरवर्ती शिक्षा' राधा प्रकाशन मन्दिर, आगरा।

2- यादव, सियाराम (2014) 'दूरवर्ती शिक्षा' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

3- गुप्ता, एस.पी. (2004) 'दूरस्थ शिक्षा' शारदा पुस्तक भवन, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद।

4- साहू, पी.के. (1994) 'ओपन लर्निंग सिस्टम' नई दिल्ली उप्पल पब्लिकेशन।

5- मुरली मनोहर, के. (1999) 'डिस्टेंस ऐजुकेशन थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस' हैदराबाद ओपन लर्निंग सोसाइटी, हैदराबाद।

6- दत्ता, आर. (2003) 'प्लानिंग एण्ड डेवलपमेण्ट ऑफ डिस्टेन्स ऐजुकेशन' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

7- https://www.gkexams.com